Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039, Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-76/Uttarakhand/2017-18 **Dated: 13/10/2017**

To

All District/Sub Treasury Officers.

Sir,

Sub:Revision in the process of Pension/Gratuity/Family Pension and commutation to the Uttarakhand Government Employees retired on or after 01/07/2016, sanction of Dearness Relief @ 2% with effect from 01/07/2016 and @4% with effect from 01/01/2017 to the pensioners receiving revised pension as a result of accepting the recommendations of Pay Committee, Uttarakhand (2016) in continuation to the decisions taken by the Central Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission reg.

Ref:1.SSA No.Pension/Dearness Relief/Uttarakhand/2017-2018/1019 dated. 24/08/2017 of the Accountant General (A & E), Uttarakhand,Dehradun.
2.Order No.135/2017/45/XXVII(10)/2016 dated 05/05/2017 of Amit Singh Negi, Secretary, Government of Uttarakhand.
3.Corrigandum No. 36/2017/45/XXVII(10)/2016 dated 05/05/2017 of Finance Section-10, Government of Uttarakhand.
4.Office Memorandum No.95/XXVII(7)02/2016 dated 17/05/2017 of Finance (G.R-P.C) Section-7, Government of Uttarkhand.

I am to enclose herewith copies of Orders issued by Finance Department, Government of Uttarakhand on the subject mentioned above and SSA regarding the same issued by the Accountant General(A&E), Uttarakhand, Dehradun in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in). under the link:-"*Treasury endorsement of orders of other states*". A copy of this letter may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

S/d
Sr. Accounts Officer

II/DRSSA/76 (ई-क/सी)/208 11/09/2017 5/9/12 PM/2/289/2017-18 7/9/17 PM 221055 31-8-17

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2644967, फैक्स न०: 0135- 2644965

"विशेष मुद्रा प्राधिकार पत्र के अंतर्गत"

पत्रांक-पी.ए./पैंशन/महंगाई राहत/उत्तराखण्ड/2017-2018/ 1019 दिनांक- 24.08.2017

सेवा में,

1.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात,	अहमदाबाद	380009
2.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय,	शिलोंग	793001
3.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आसाम,	गौहाटी	781029
4.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड,	रांची	834002
5.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार,	पटना	800001
6.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल,	तिरुवनंतपुरम	695039
7.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्यप्रदेश,	ग्वालियर	474002
8.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु,	चेन्नई	600018
9.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र,	मुंम्बई	400020
10.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II	महाराष्ट्र,	नागपुर	440001
11.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक,	बेंगलुरु	560001
12.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उडीशा,	भुवनेश्वर	751001
13.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब,	चंडीगढ़	160017
14.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा,	चंडीगढ़	160047
15.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रेदश,	शिमला	171003
16.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान,	जयपुर	302005
17.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)II	उत्तर प्रदेश,	इलाहाबाद	211001
18.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल,	कोलकता	700001
19.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर,	श्रीनगर	190009
20.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर,	इम्फाल	795001
21.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा,	अगरतला	799006
22.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड,	कोहिमा	797001
23.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़,	रायपुर	492111
24.	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिजोरम,	आईजोल	796001
25.	वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
26.	वेतन एवं लेखा अधिकारी-V, पेंशन, तीस हजारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	-	110124
27.	निदेशक, लेखा एवं कोषागार, गोवा सरकार,	गोवा,	पणजी	403101
28.	निदेशक, लेखा एवं खजाना, (सघ क्षेत्र)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
29.	निदेशक, लेखा परीक्षा एवं पेंशन	अरुणाचल प्रदेश,	नाहरलागन	791110
30.	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आंध्रप्रदेश,	हैदराबाद	500463
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

To Hindi Cell.
D/. translate to English (23 4 Pages).

२

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक०) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन न०: 0135-2643684, फैक्स न०: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2017-18/ दिनांक-

सेवा में,

सभी प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक़)

विषय- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियो पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियो को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवको को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रकिया में संशोधन | पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरो को 01 जुलाई 2016 से महंगाई राहत 02% तथा 01 जनवरी 2017 से महंगाई राहत 04% की स्वीकृति |

सन्दर्भ - (1) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017

(2) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-136/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 05/05/2017

(3) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-95/XXVII(07)/02/2016 दिनांक-17/05/2017

(4) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-297/XXVII(07)/02/2016 दिनांक-30/12/2016

महोदय,

वित विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशो की प्रतियाँ संग्लन कर प्रेषित की जा रही है | अत: आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें |

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

(32)

संख्या 135 /2017/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2017

विषय– सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गये निर्णयों के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को सविकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01–01–2016 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–12 में प्राविधान किया गया था कि "पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रेच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में शासन के सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के पुनरीक्षित प्राधिकार–पत्र के आधार पर पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन, राशिकरण एवं नकदीकरण की देयता के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/क्षितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

4

(32)

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–10
संख्या /36/2017/45/XXVII(10)/2016
देहरादूनः दिनांक 05 मई, 2017

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 के पैरा–2 में द्वितीय लाईन में त्रुटिवश दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 तक अंकित हो गया है। अतः उक्त शासनादेश के पैरा–2 में 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 31 जनवरी, 2016 के स्थान पर 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक पढ़ा जाय।

शासनादेश संख्या 135/2017/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 05 मई, 2017 केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या /36/2017/45/XXVII(10)/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– निदेशक पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5– निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6– निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
7– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।
5/5/2017

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–95 / XXVII(7)02 / 2016
देहरादून: दिनांक: 17 मई, 2017

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषय भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या–1 / 2 / 2016–ई.II(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के कम में पूर्व दरों को अतिकमित करते हुये पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से 04 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

3. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

4. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252 / दस / 10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

5. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No- 95 /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated: 17 मई, 2017

Office Memorandum

Subject: Grant of Dearness Relief to State Government Civil/Family Pensioners which Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners w.e.f. 01-01-2017 @ 4% instead 02% superseding the earlier rates as is sanctioned vide Office Memorandum No. 297/XXVII(7)02/2016 Dated 30 December, 2016 for those pensioners whose pension is not revised according with the recommendation of the 7th pay Commissions .

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

3. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

4. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

5. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Principal Secretary.

-2.....

32

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0--वे0आ0)अनुभाग--7
संख्या--297/ XXVII(7)02/2016
देहरादून: दिनांक 30 दिसम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या--1/2/2016--ई.II(बी) दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के कम में पूर्व दरों को अतिकमित करते हुये पुनरीक्षित पेंशन पर दिनांक 01 जुलाई, 2016 से 02 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. मंहगाई राहत की ऐसी धनराशि जिसमें एक रूपये का कोई अंश निहित हो, उसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा।

3. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4. यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

5. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या--ए--1--252/दस/10(3)--81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन कर दिया जाय।

6. मंहगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इस से पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R-P.C.) Section-7
No 297 /XXVII(7)02/2016
Dehradun: Dated 30 Dec., 2016

Office Memorandum

Subject: **Grant of Dearness Relief to State Government Civil /Family Pensioners which pension is revised from 01 January, 2016**

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief for pensioners w.e.f. 01-07-2016 @ 2% for revised pension superseding the earlier rates as is sanctioned vide Office Memorandum No. 1/2/2016-E.II(B) Dated 04 November, 2016 of Ministry of Finance, Government of India.

2. Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded of to next higher rupee.

3. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4. These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State Govt. under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at per with the pensioners of the State Government.

5. As per orders issued in Om No-A-1-252/X/10(3)-81, dated April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M.

6. Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier government orders shall remain applicable as usual.

(Amit Singh Negi)
Secretary.

--2..

Office of the Principal Accountant General(A&E) Uttrakhand
Oberoi Motors, Saharanpur Road, Maajra, Dehradun – 248171
Phone No : 0135-2644967, Fax No : 0135-2644965

"Under Special Seal Authorization Letter "

Letter No.-P.A./Pension/2017-18 Date :

To

All Principal Accountants General (A&E)

Sub : Revision in the process of Pension/Gratuity/Family Pension and Commutation to the Government servants retired on or after 01.07.2016, sanction of DA 2% w.e.f. 01 July 2016 and DA 4% w.e.f. 01.01.2017 to the pensioners receiving revised pension as a result of accepting the recommendations of Pay Committee Uttrakhand (2016) in continuation to the decisions taken by the Central Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission.

Reference : (1) Secretary, Government of Uttrakhand, Finance Section, GO No. –135/2017/45/XXVII(10)/2016 dated 05/05/2017
(2) Secretaty, Uttrakhand Government, Finance Section, GO No- 136/2017/145/XXVII(10)/2016 dated – 05/05/2017
(3) Secretary, Government of Uttrakhand, Finance Section, GO No.95 /XXVII(07)/02/2016 dated 17/05/2017
(4) Secretary, Government of Uttrakhand, Finance Section, GO No. - 297/XXVII(07)/02/2016 Dated – 30/12/2016

Sir,

Copies of the above orders issued by Finance Department Government of Uttrakhand are being enclosed and sent herewith. Therefore you are requested to you that after circulating the above order to all the Treasury Officers/ Pension Payment Officer under your jurisdiction , directions may kindly be given for taking action as per rules and one copy may kindly be forwarded to this office also.

Enclosed : As above

Yours Faithfully

Sd/-

Sr. Accounts Officer/Pension

umber/135/2017/45/XXVII(10)/2016

From

Amit Singh Negi
Secretary
Government of Uttarakhand

To,

1 - All Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary
Government of Uttrakhand
2 – All Heads of Department/ Heads of Office Uttarakhand

Finance Section – 10 Dehradun Date : 05 May, 2017

Sub - Revision in the process of Pension/Gratuity/Family Pension and Commutation to the Government servants retired on or after 01.07.2016, sanction of DA 2% w.e.f. 01 July 2016 DA 4% w.e.f. 01.01.2017 to the pensioners receiving revised pension as a result of accepting the recommendations of Pay Committee Uttrakhand (2016) in continuation to the decisions taken by the Central Government on the recommendations of Seventh Central Pay Commission.

Sir,

Kindly refer to GO No. 266/45/XXVII (10)/2016 dated 30 December, 2016 on the above mentioned subject Provision was given in para-12 of the above GO that "Revised Pension will be paid in cash w.e.f. 01 January 2017 and regarding the payment of dues of the liabilities of Pension & Gratuity from 01 January 2016 to 31 December 2016 calculated on the basis of revised pay scale w.e.f. 1st January, 2016, separate orders will be issued by the Finance Department.

In the above perspective after due consideration of the Government I have been directed to say that on the basis of revised authorization letter of employees retired from 1st January 2016 to 31st January 2016, sanction is accorded for payment of dues of Pension/Gratuity/Family Pension, Commutation & Encashment.

Yours faithfully

(Amit Singh Negi)

Secretary

Government of Uttrakhand
Finance Section – 10
Number/36/2017/45/XXVII(10)/2016
Dehradun Date 05 May 2017

Corrigendum

In the second line of Para-2 of GO NO. 135/2017/45/XXVII (10)/2016 dated 05 May 2017, from '01 January 2016 to 31 January 2016' has been mentioned by mistake. Therefore in para-2 of above GO, in place of from '01 January 2016 to 31 January 2016', '01 January 2016 to 31st December2016' shall be read.

GO NO 135/2017/45/XXVII (10)/2016 dated 05 May, 2017 shall be treated as amended to this extend only.

(Amit Singh Negi)

Secretary

No./136/2017/45/XXVII (10)/2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. Accountant General (A&E) I, Oberoi Building, Maajra, Dehradun
2. Accountant General(A&E) I/II, Uttar Pradesh,Allahabad
3. All Principal Secretaries/Secretaries, Uttarakhand Government
4. Director, Pension, Uttar Pradesh Lucknow
5. Director, Treasury, Uttar Pradesh, Lucknow
6. Director, Treasury, Pension & Entitlement, 23 Lakshmi Road, Dehradun
7. All Chief/Sr./Treasury Officer/Sub Treasury Officer, Uttarakhand
8. Incharge, N.I.C., Secretariat, Dehradun
9. Guard File